संख्या- 33 /2019/1289 /30-3-19-6बी/2014

प्रेषक,

डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ: दिनॉक 03 जून, 2019

विषयः- उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 के अन्तर्गत कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनॉक 26-02-2019 के अनुमोदन के क्रम में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-513स0सु0/2019-45(iV)स0सु0/2013, दिनॉक 24-04-2019 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनॉक 26-02-2019 के अनुमोदन के क्रम में वित्तीय वर्ष 2019-20 में सड़क सुरक्षा कोष (राजस्व मद) में प्राविधानित धनराशि रू0 1509.59 लाख के सापेक्ष कोष प्रबन्धन समिति द्वारा अनुमोदित धनराशि रू० 1069.20 लाख (रू० दस करोड़ उनहत्तर लाख बीस हजार मात्र) को सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित निम्नलिखित कार्य हेतु उनके सम्मुख विवरण एवं धनराशि के अनुसार व्यय किये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0	प्रस्तावित मद	अनुमानित व्यय (रू0 लाख में)
1	2	3
1	वर्ष 2019-20 हेतु सड़क सुरक्षा सेल के कार्मिकों का मानदेय/वेतन	100.00
2	वर्ष 2019-20 हेतु पब्लिसिटी वैन के भुगतान हेतु व्यय	187.20
3	वर्ष 2019-20 में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के आयोजन हेतु सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित वर्कशाप/सेमिनार/गोष्ठी/प्रचार-प्रसार कार्यक्रम एवं मोर्थ-भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप कार्यक्रम कराये जाने हेतु।	100.00
4	मुख्यालय एवं जनपदीय कार्यालयों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग हेतु इन्फ्रास्ट्रक्चर (टी0वी0 कम्प्यूटर सेट कैमरा, साफ्टवेयर आदि) का निर्माण।	122.00
5	Software Used for Vahan Analysis System (SUVAS) एप्प का विकास ट्रेनिंग एवं प्रोक्योरमेंट हेतु।	10.00
6	परिवहन एप्प तैयार कराना, जिसमें आम व्यक्ति द्वारा बिना हेल्मेट पहन कर वाहन चलाने वाले व्यक्ति की वाहन के नम्बर प्लेट तथा लोकेशन के साथ फोटो खींचकर एप्प पर अपलोड करने एवं अपलोड फोटो के आधार पर ई-चालान की व्यवस्था तथा फोटो अपलोड करने वाले व्यक्ति को प्रति अपलोड फोटो 05 रू0 प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाना।	50.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7	वर्ष 2019-20 में सडक सुरक्षा सम्बन्धी प्रचार-प्रसार हेतु मीडिया कैंपेन चलाया जाना, जिसके अन्तर्गत एफ0एम0 वाइस मैसेज, प्रिंट मीडिया, ग्राउण्ड होर्डिंग, इलेक्ट्रिक पोल/यूनीपोल/ट्री-गार्ड आदि पर होर्डिंग एवं विभिन्न प्रकार के स्टीकर, कैलेण्डर, लीफ-लेट, पंपलेट आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराया जाना आदि।	300.00
8	वर्ष 2019-20 में सडक सुरक्षा सम्बन्धी प्रचार-प्रसार हेतु सोशल मीडिया कैंपेन जिसमें फेसबुक, व्हाट्स एप्प, ट्वीटर, इंस्टाग्राम आदि सोशल मीडिया माध्यमों के द्वारा प्रचार-प्रसार सम्मिलित है।	100.00
9	वर्ष 2019-20 में प्रमुख चौराहों पर/डिवाइडर पर/रोड कट्स पर रिफ्लेक्टिव टेप/डेलीनेटर लगाये जाने हेतु।	15.00
10	वर्ष 2019-20 में अप्रैल, 2019 से दिसम्बर, 2019 की अवधि में सड़क दुर्घ्टनाओं में मृत व्यक्तियों की संख्या में गत वर्ष की समान अवधि की अपेक्षा 10 प्रतिशत की कमी लाने वाले 10 जनपदों के जिलाधिकारी एवं उनके अधीनस्थ अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं उनके अधीनस्थ अधिकारी तथा परिवहन विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारियों को पुरस्कृत किये जाने हेतु।	30.00
11	वर्ष 2019-20 में कानपुर नगर एवं बरेली में निर्मित आटोमैटिक ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक के संचालन एवं रख-रखाव हेतु अनुमानित व्यय।	25.00
12	वर्ष 2019-20 में जागरूकता कार्यक्रम हेतु कंसल्टेंट के वार्षिक भुगतान की अनुमानित राशि।	25.00
13	वर्ष 2019-20 हेतु प्रदेश में मण्डलीय मुख्यालयों में निर्माणाधीन डी0टी0आई0 (ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट) हेतु कंसल्टेंट।	05.00
	योग -	1069.20

(1) आवंटित धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनॉक 22-03-2019 का अनुपालन अक्षरश: सुनिश्चित किया जाय।

(2) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(3) उपरोक्त के सम्बन्ध में व्यय की जाने वाली धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराने का दायित्व परिवहन आयुक्त का होगा।

(4) उपरोक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के राजस्व मद के अन्तर्गत "लेखाशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-800-अन्य व्यय-05-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष से व्यय के नामे डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह०/-

(डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा)

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 33 /2019/1289 (1)/30-3-2019, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह०/-
(विनोद कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।